

Schedule XIII High Court No. (1) 01 (M) 199

①


FORM OF ORDER SHEET

जणा लागुपी एवं धय 7

In the Court of the sub-Divisional Magistrate, Sadar Chaibasa. Vrs

Misc. Case No. 37/2018
U/S 107/113/116 (III) Cr.P.C.

रामरिड बल्लभुचु एवं धय 8

Date of Order	Order with the Signature of the Court	Office action
25.04.18	<p>Perused the Police report a S.I of Police रौरी थमा Police Station/petition of the petitions/S.D.O/C.O रौरी थमा प्रतिवेदन आप्रामिकी सं - 04/18 for taking action U/s 107/113/116 (III) Cr. P.C. against the member of the Both Parties whereas on perusal of the Police report, I feel satisfaction that there exists serious apprehension of breach of the peace at the instance of the member of Both party due to इ.स.दि. च.प. मारने के कारण विवाद से उग्र पक्ष के बीच शांति रंग रौरी की संभावना है।</p> <p>and that prevention of which is urgently required. I in exercise of my power u/s 107 Cr.P.C. do hereby call upon the member of Both parties to appear before me on 08.05.2018 and file their show cause as to why you should not be ordered to execute bound of Rs 5,000/- with two surety that you will maintain peace for a period of one year.</p> <p style="text-align: right;">  Subdivisional magistrate Sadar chaibasa </p>	

08.05.18

अभिलेख उपस्थापित किया गया। नौटिस का नामिका प्राप्त हुआ है। प्रथम पक्ष के तीन सदस्य ① भागा लागुरी ② आंति सिद्ध ③ डिहरी सिद्ध वकालतनामा के साथ उपस्थापित हैं एवं उनके द्वारा S/C दाखिल करने हेतु समग्र की मांग की गई है।

द्वितीय पक्ष के पाठ सदस्य ① रामराई बालभुय ② लादुरा ईसा ③ मंगल सिंह ईसा ④ सुरदा सिंह ⑤ चोत्रा सिद्ध ⑥ तुरी सिद्ध ⑦ गुमदी लागुरी ⑧ प्रदू लागुरी वकालतनामा के साथ उपस्थापित हैं एवं उनके द्वारा S/C दाखिल करने हेतु समग्र की मांग की गई है। पीठासीन पदाधिकारी भग्न कार्य में व्यस्त हैं।

अभिलेख दिनांक 22.05.18 को रखा।

अनु० 2057

22.05.18

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के तीन सदस्य के अलावे पांच सदस्य ① आंति लागुरी ② सौमा ईसा ③ मित्र भागू दास ④ बुखरू लागुरी ⑤ कानूराम पुनी वकालतनामा के साथ उपस्थापित हैं एवं S/C दाखिल करने हेतु समग्र की मांग की गई है।

द्वितीय पक्ष के पाठ सदस्य उपस्थापित हैं। पीठासीन पदाधिकारी भग्न कार्य में व्यस्त हैं।

अभिलेख दिनांक 05.06.18 को रखा।

अनु० 2057

05.06.18

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के सभी सदस्य उपस्थापित हैं। द्वितीय पक्ष के पाठ सदस्य उपस्थापित हैं। उभय पक्ष के द्वारा S/C दाखिल करने हेतु समग्र की मांग की गई है। पीठासीन पदाधिकारी भग्न कार्य में व्यस्त हैं।

अभिलेख दिनांक 19.06.18 को रखा।

अनु० 2057

24-07-18 अगिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के 7 सदस्य उपस्थित हैं एवं एक अपस्थित सदस्य की ओर से प्रतिनिधित्व हेतु आवेदन की गई है। द्वितीय पक्ष के दो सदस्यों के द्वारा अ/C दाखिल करने हेतु समग्र की मांग आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

S.P — only 2 members out of the 7 are present in court today.

Everyone to appear on 27-07-18 along with etc

24/07/18

27-07-18 अगिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के सभी सदस्य उपस्थित हैं। द्वितीय पक्ष के श्राद्ध सदस्य उपस्थित हैं एवं उनके द्वारा अ/C दाखिल करने हेतु समग्र की मांग की गई है। पीठासीन पदाधिकारी धन्य कार्य में व्यस्त हैं।

अगिलेख दिनांक 01-08-18 को खे।

81.

07-08-18 अगिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के सभी सदस्य उपस्थित हैं। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित है। अ/C में द्वितीय पक्ष के सभी सदस्यों के द्वारा अ/C दाखिल किया गया है।

S/C on behalf of 2nd party filed today. Parties to appear on 14-08-18. F-P to adduce evidence.

07/08/18

18.09.18

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के सभी सदस्यों के द्वारा एक गवाह मंत्री सिद्ध को गवाही हेतु प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय पक्ष के सभी सदस्य उपस्थित हैं।
अभिलेख दिनांक 05.10.18 को रखा।

05.10.18

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के द्वारा एक गवाह मंत्री सिद्ध को गवाही हेतु प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय पक्ष के सभी सदस्यों के द्वारा हाजिरी प्रस्तुत किया गया है।
अभिलेख दिनांक 26.10.18 को रखा।

26.10.18

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के द्वारा एक गवाह मंत्री सिद्ध को गवाही हेतु प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय पक्ष के सभी सदस्यों के द्वारा हाजिरी प्रस्तुत किया गया है।
अभिलेख दिनांक 16.11.18 को रखा।

16.11.18

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के पाँच सदस्य उपस्थित हैं एवं अनुपस्थित सदस्य की ओर से प्रतिनिधित्व हेतु आवेदन दी गई है। द्वितीय पक्ष के सदस्य अनुपस्थित हैं।
अभिलेख दिनांक 04.12.18 को रखा।

04.12.18

अभिलेख उपस्थापित। अग्र पक्ष के सभी सदस्य उपस्थित हैं। पीठासीन पदाधिकारी अवकाश में हैं।
अभिलेख दिनांक 18.12.18 को रखा।

18.12.18

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के सात सदस्य उपस्थित हैं। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित है। पीठासीन पदाधिकारी अवकाश में हैं।
अभिलेख दिनांक 11.01.2019 को रखा।

अनु 205A

11-01-19

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के सभी सदस्यों के द्वारा
हाजिरी प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय पक्ष के सभी
सदस्य उपस्थित हैं।

Time barred. Anup
11/1/19